<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.4-1/2018-हिं.अ. दिनांक: 02.01.2018

<u>परिपत्र</u>

विषय:अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, में कार्यरत नियमित वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/लिपिकों आदि को हिंदी शिक्षण <u>योजना के तहत अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित करने संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत नियमित वैयक्तिक सहायकों/ आशुलिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/लिपिकों आदि को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रतिवर्ष अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। संस्थान द्वारा फरवरी, 2018 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटरों, लिपिकों आदि को हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु तथा फरवरी, 2018 से ही प्रारंभ होने वाले हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र हेतु वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की कक्षाओं में नामित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न केंद्रों के प्रमुखगण एवं विभागों/अनुभागों के सभी अध्यक्षगण तथा अधिकारीगण एवं संकाय-सदस्यगण स्वैच्छिक रूप से अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को अनिवार्य हिंदी टंकण/आशुलिपि की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामांकित करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:-

1. हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र फरवरी, 2018 से प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण की अवधि 06 माह की होगी तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र भी फरवरी, 2018 से प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। केवल निजी सचिवों, वैयक्तिक सहायकों एवं आशुलिपिकों आदि को ही हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षिण हेतु नामित किया जाता है तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों, लिपिकों आदि को हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।

2. हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण की कक्षाएं कार्यालय समय में (शनिवार को छोड़कर) प्रतिदिन एक घंटे की होती हैं।

3. प्रशिक्षण हेतु नामित किए गए कर्मचारियों को संस्थान की ओर से संस्थान से आर.के.पुरम स्थित प्रशिक्षण केन्द्र तक सार्वजनिक वाहन द्वारा आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय दिया जाता है।

4. नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना व उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य होता है और कक्षा में गैर-हाजिरी को कर्त्तव्य की अवहेलना माना जाता है।

जारी--2/-

5. नामित कर्मचारी को हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है तथा हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए हिंदी भाषा-भाषी कर्मचारियों को एक तथा अन्य भाषा-भाषी कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

6. हिंदी टंकण की परीक्षा में 97%, 95% एवं 90% अंक प्राप्त करने पर तथा हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 95%, 92% एवं 88% अंक प्राप्त करने पर संबंधित कर्मचारी को संस्थान की ओर से क्रमश: ₹ 5,000/-, ₹ 3,000/- एवं ₹ 2,000/- के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

7. अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण जानने वाले आशुलिपिक/कर्मचारी यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना सरकारी कार्य अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी करते हैं तो उन्हें संस्थान की ओर से नियमानुसार ₹ 1,500/- और ₹ 1,000/- प्रतिमास विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है।

संस्थान के विभिन्न केंद्रों के प्रमुखगण, विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण, अधिकारीगण एवं संकाय-सदस्यगण अपने अधीन कार्यरत जिन नियमित वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/लिपिकों आदि को स्वेच्छा से उपर्युक्तानुसार अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामित करवाना चाहते हैं, वे कृपया संलग्न प्रपत्र में ऐसे कर्मचारीगण के नाम हिंदी अनुभाग को दिनांक 15.01.2018 तक उपलब्ध करा दें। उक्त आवेदन-पत्रों पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण हेतु जारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रेमसिंह
02.01.2018

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

वितरण: - सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक) चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
2. उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
3. उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
5. प्रभारी अधिकारी(कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इस परिपत्र को एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

Mr S. N. Raghu Kumar
श्री एस० एन० रघुकुमार
श्री संजीव कुमार अग्रिम कार्यवाही हेतु
06/01/18
6.1.18

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

संस्थान में कार्यरत नियमित वैयक्तिक सहायकों/ आशुलिपिकों/ डाटा एंट्री ऑपरेटरों/ लिपिकों आदि को हिंदी शिक्षण योजना के तहत अनिवार्य हिंदी आशुलिपि/ टंकण प्रशिक्षण में नामित करने हेतु नामांकन प्रपत्र।

हिंदी अनुभाग के दिनांक 02.01.2018 के परिपत्र सं. 4-1/2018-हिं.अ. के संदर्भ में, निम्नलिखत कर्मचारी को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत फरवरी, 2018 से आरंभ होने वाले सत्र में अनिवार्य हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामित किए जाने की सिफारिश की जाती है:

नाम : ....

पदनाम : ....

विभाग/अनुभाग/केन्द्र : ....

कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

सिफारिश करने वाले अधिकारी/संकाय के हस्ताक्षर : ....

मोहर : ....

हिंदी अनुभाग

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान